भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1894
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पेयजल और स्वच्छता कवरेज

†1894. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आंध्र प्रदेश में जिलावार कितने ग्रामीण आवास ऐसे हैं जिन्हें 30 जून, 2025 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है;
(ख) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित नहीं की गई या स्वच्छता आस्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता वाले आवासों की संख्या कितनी है;
(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (डब्ल्यूएएसएच) अवसंरचना के लिए जारी और उपयोग की गई कुल केंद्रीय निधि का घटक-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए पूर्ण 'डब्ल्यूएएसएच' कवरेज प्राप्त करने हेतु कोई समय-सीमा या निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से नल जल कनेक्शन के माध्यम से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। प्रगति पर्याप्त रही है: अगस्त 2019 में 3.24 करोड़ (16.71%) कनेक्शन से शुरू होकर, 8 दिसंबर, 2025 तक यह संख्या बढ़कर 15.76 करोड़ (81.39%) से अधिक हो गई है, जो ग्रामीण भारत के अधिकांश लोगों को जल

आपूर्ति प्रदान करती है। अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 71.06 लाख (74.39%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून, 2025 तक जेजेएम के तहत आंध्र प्रदेश में उन ग्रामीण बसावटों की जिले-वार संख्या जिन्हें अभी तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं हुआ है, अनुबंध में दी गयी है।

(ख): दिनांक 08.12.2025 की स्थिति के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के 15995 गांवों में से 10265 गांवों को एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल घोषित किया गया है। इसलिए 5730 गांवों को अभी भी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल घोषित किया जाना है।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (डब्ल्यूएएसएच) बुनियादी ढांचे के लिए जारी और उपयोग की गई केंद्रीय और राज्य निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(*करोड़ रुपये में*)

वित्त वर्ष	**अथ शेष**	**जारी निधि**			**व्यय**
		केंद्रीय	**राज्य**	**कुल**	
2023-24	540.34	940.59	1040.04	1980.63	2175.69
2024-25	345.28	272.58	1108.15	1380.73	1208.02

(घ): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश ने मार्च, 2026 तक स्वच्छता, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम और एलडब्ल्यूएम) व्यवस्था का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने और दिसंबर, 2028 तक सभी परिवारों में पूर्ण एफएचटीसी कवरेज प्राप्त करने के साथ सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

****

<u>अनुबंध</u>

'आंध्र प्रदेश में पेयजल और स्वच्छता कवरेज' के संबंध में 11.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1894 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**कुल बसावट**	**जिन बसावटों को अभी तक 55 एलपीसीडी प्राप्त नहीं**
1	श्रीकाकुलम	1980	1621
2	विजयनगरम	353	943
3	पार्वतीपुरम माणियम	2282	2208
4	अल्लूरी सीताराम राजू	4970	96
5	विशाखापट्टनम	265	1539
6	अनाकापल्ली	703	3172
7	काकिनाडा	667	297
8	कोनासीमा	1348	870
9	पूर्वी गोदावरी	482	86
10	पश्चिम गोदावरी	1021	215
11	एलुरु	1555	332
12	कृष्णा	1245	384
13	एनटीआर	794	192
14	गुंटूर	324	138
15	बापटला	960	696
16	पलनाडु	794	451
17	प्रकासम	1770	1216
18	एसआरएसपी नेल्लोर	2114	1025
19	तिरुपति	4008	1092
20	चित्तूर	5310	2028
21	अन्नामय्या	5435	1981
22	वाईएसआर	1922	339
23	श्री सत्य साईं	2214	498
24	अनंतपुरम	1070	221
25	नंदयाल	766	317
26	कुरनूल	721	454
कुल		**48,369**	**19,115**

*****